

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम, जयपुर

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयाध्यक्ष पद हेतु भर्ती परीक्षा 2016 में चयनोपरान्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102 /पु.अ.ग्रेड-III/सी.भ./2016 दिनांक 27.11.2017 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप पृष्ठांकित सूची में अंकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल 10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/- रु. प्रतिमाह/पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।


सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त न्यूनतम शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
6. धौलपुर/भरतपुर जिले का जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(9)कार्मिक/क-2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 से जाट समुदाय को राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं होने संबंधी दिशा निर्देशों के क्रम में यदि धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग के किसी अभ्यर्थी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के चयन वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित हैं एवं नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

२०७

7. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
8. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञापित के संदर्भ में मा. उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवं एतद्विषयक माननीय उच्च न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहते हुए की गई है।
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रपत्र में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
11. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.12.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः की निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे तथा शाला दर्पण पर भी शीघ्र ही अपडेट किया जावे।



(रतन सिंह यादव)

जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)

जयपुर प्रथम, जयपुर

क्रमांक : जिशिअ/मा/जय/संस्था-3/फा:तृ.पु.अ.नियु.-2016/2017/830

दिनांक : 03.12.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय, जयपुर को उनके परिक्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित किये गये अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र तत्काल ही संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित संस्था प्रधान।
9. सम्बन्धित आशार्थी (स्पीड पोस्ट द्वारा)
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली



जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)

जयपुर प्रथम, जयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम, जयपुर

कार्यालय आदेश (पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III)

क्रमांक: जिशिअ/मा/जय/संस्था-3/फा:तृ.श्रे.पु.अ.नियु.-2016/2017/830

दिनांक : 03.12.2017

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम मय स्थायी पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	889	SC	बृजमोहन तंवर/सीताराम तंवर चार दरवाजा बाहर, मण्डी खटिकान, तलाई का मौहल्ला, दुर्लभनाथजी की बगेची के पीछे, शिव पार्क के पास, जयपुर	09/10/1979	SCM LDCP	राउमावि नांगल सुसावतान (आमेर) जयपुर
2	13	OBC	शारदा यादव/पोखर मल यादव गांव बरना, पो. राधाकिशनपुरा, वाया जाहोता, आमेर, जयपुर	20/07/1988	GENF	राउमावि गोविन्दगढ (गोविन्दगढ) जयपुर
3	40	OBC	रोशन यादव/घीसा लाल यादव प्लॉट नं. 48, जी-2, महादेव नगर, गली नं. 7, एस.के.आई.टी. कॉलेज के पास, रामनगरिया जगतपुरा, जयपुर	15/07/1977	GENF	राउमावि बीलवा (सांगानेर) जयपुर
4	41	GEN	कोकिला चतुर्वेदी/शान्त कुमार चतुर्वेदी 261, बादुजई-II शाहजहांपुर, उ.प्र.	26/03/1975	GENF	राउमावि बेगस (झोटवाडा) जयपुर
5	1	OBC	प्रकाश चन्द्र गुर्जर/श्रवण लाल गुर्जर गांव-धलेर, पो. गटवाडी तह. जमवारागढ जिला जयपुर	24/06/1984	GENM	राउमावि चन्दवाजी (आमेर) जयपुर
6	6	GEN	रामशरण गुर्जर/खेमचन्द गुर्जर गांव मीरापुर, पो. द्वारिकपुरा, वाया प्रागपुरा तह. कोटपूतली, जयपुर	19/08/1990	GENM	राउमावि ढोढसर (गोविन्दगढ) जयपुर
7	8	OBC	वेदप्रकाश रावत/हुकम सिंह रावत हिण्डौन रोड, कुण्डा के पास, बयाना, जिला भरतपुर	07/04/1982	GENM	राउमावि बोराज (दूदू) जयपुर
8	22	GEN	विष्णु कुमार गुप्ता/दिनेश चन्द 34/373 सेक्टर-3, प्रताप नगर, सांगानेर, जिला जयपुर	08/02/1979	GENM	राउमावि रेनवाल मांझी (फागी) जयपुर
9	26	OBC	बजरंग लाल स्वामी/हरिओम स्वामी वकिलों का मोहल्ला वार्ड नं. 13, जोबनेर तह. फुलेरा, जयपुर	06/05/1989	GENM	राउमावि खतैपुरा (बरसी) जयपुर
10	29	GEN	अजित कुमार/विमल कुमार झा अशोक ग्राम नया गांव पो. वासुदेवपुर जिला मुंगेर राज्य बिहार	02/01/1983	GENM	राउमावि बांसखोह (बरसी) जयपुर
11	30	OBC	कमलेश जाट/कन्हैया लाल जाट दासावाली ढाणी, गांव रामसिंहपुरा पो. वाटिका तह. सांगानेर, जयपुर	10/06/1989	GENM	राउमावि पीपला (फागी) जयपुर
12	37	GEN	रत्नाकर गौड/सीताराम गौड सोनी मार्केट, राज बाजार, बांदीकुई जिला दौसा	05/01/1981	GENM	राउमावि डाबिच (फागी) जयपुर
13	207	OBC	देवेन्द्र सिंह/राम प्रसाद ग्राम-आरसी, पो. मूडियां तह. नगर जिला भरतपुर	03/07/1983	OBCM	राउमावि लालगढ (बरसी) जयपुर
14	214	SC	राजेन्द्र आर्य/बाबूलाल आर्य मु.पो. पवाना (अहीर) तह. कोटपूतली जिला जयपुर	05/07/1988	SCM	राउमावि लुहाकना खुर्द (विराटनगर) जयपुर
15	230	OBC	अनिल कुमार/अर्जुन राम जाट गांव गदडी पो. बधाल तह. कि.रेनवाल जिला जयपुर	25/07/1988	OBCM	राउमावि कचौलिया (बरसी) जयपुर
16	244	OBC	शंकर लाल कुमावत/नवरतन कुमावत चिन्दोलों का मोहल्ला, फागी जिला-जयपुर	06/09/1983	OBCM	राउमावि रायसर (जमवारागढ) जयपुर
17	294	ST	रवि प्रकाश मीणा/बाबू लाल मीणा ग्रा.पो. लुणियावास, एम.एल.ए. की ढाणी वाया जामडोली तह. सांगानेर जिला जयपुर	29/10/1985	STM	राउमावि माधोगढ (बरसी) जयपुर
18	383	ST	नाहर सिंह मीना/कैलाश चन्द मीना ग्रा.पो.जाहिशा, तह. बामनवास जिला-सवाईमाधोपुर	06/04/1988	STM	राउमावि भावनी (जमवारागढ) जयपुर



(रतन सिंह यादव)

जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)

जयपुर प्रथम, जयपुर